

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 1/2017 एफ एस एस एक्ट

- सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री सुनिल कुमार सब्बरवाल पुत्र श्री इन्द्रराज निवासी— बाडियान मौहल्ला, रामकरण जोशी स्कूल के पास, दौसा, मैसर्स—एस के ट्रेडर्स, नई मण्डी रोड, दौसा ।
- श्री शिव दन्त पाण्डे पुत्र श्री लोकमणी निवासी 31, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, वार्ड नं0 31 तह0 जिला अलवर, मैनेजर, मैसर्स:— 1136 वरुण बैवरेज लिमि0 खसरा नं0 528 एसबीबीजे बैंक के सामने सिकन्दरा, जिला दौसा नोमिनी फर्म ।
- श्री मनीष भटनागर पुत्र श्री संतोष कुमार मैसर्स वरुण बैवरेज लिमिटेड प्लाट नं0 2, सूरजपुर बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश नोमिनी फर्म ।
- मैसर्स वरुण बैवरेज लिमिटेड प्लाट नं0 2, सूरजपुर बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश नोमिनी फर्म ।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 3 उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 7.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 18.5.2016 को दोपहर बाद 09:10 बजे मैसर्स:— एस. के. ट्रेडर्स नई मण्डी रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय गोदाम पर विक्रेता श्री सुनिल कुमार सब्बरवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता के गोदाम में 200 एमएल पैकिंग में टेद्रा पैक बोतल के (50 कार्टून X 24 टेद्रा बोतल X 200 एमएल) आम जनता को बेचने हेतु रखे थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से (20 टेद्रा बोतल X 200 एमएल) Mango drink Tropicana Slice नमूने की जाँच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 250 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा Mango drink Tropicana Slice की 4 टेद्रा पैक बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर टेट्रा पैक बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच. ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1399 गोंद से चिपकाकर टेट्रा पैक बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर टेट्रा पैक बोतलों को चार-चार जगह से सील चपड़ी उपर-नीचे व दोनो साइडों से सील मोहर कर टेट्रा पैक बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं व गवाहान ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द टेट्रा पैक बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की तीन प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है एवं द्वितीय प्रति फर्म को डाक द्वारा दिनांक 18.5.2016 को फार्म 5 ए की प्रति भिजवाई।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद टेट्रा पैक बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद टेट्रा पैक बोतल फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.5.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द टेट्रा पैक बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.5.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद टेट्रा पैक बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.5.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ Mango drink Tropicana Slice के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1547/एक्ट/2016/2509 दिनांक 8.7.2016 डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Mango drink Tropicana Slice का नमूना मिसब्रान्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 3 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 3 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ Mango drink Tropicana Slice को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिसब्रान्ड होना अंकित किया गया है जो निराधार है। प्रकरण झोप फरमाने की कृपा करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ Mango drink Tropicana Slice के नमूने के लेबल पर ADDED FLAVOUR (NATURAL AND NATURE IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES) प्रिन्ट किया गया है जो नियम 3.1.10(1) के अनुसार नहीं लिखा जाकर Food safety &



Standards (Food products standards and Food Additives) Regulations 2011 के नियम 3.1.10(1) का उल्लंघन किया गया है।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1547/एक्ट/2016/2509 दिनांक 8.7.2016 के अनुसार उक्त खाद्य उत्पाद Mango drink Tropicana Slice मिसब्राण्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ फूट ड्रिंक Mango drink Tropicana Slice मिसब्राण्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं 3 व 4 श्री मनीष भटनागर पुत्र श्री संतोष कुमार मैसर्स वरुण बैवरेज लिमिटेड प्लॉट नं0 2, सूरजपुर बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश नोमिनी फर्म पर 5000/- (अक्षरे पांच हजार) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 7.3.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया



गया।

क्रमांक / 8367-72

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुनिल कुमार सब्बरवाल पुत्र श्री इन्द्रराज निवासी- बाडियान मौहल्ला, रामकरण जोशी स्कूल के पास, दौसा, मैसर्स-एस के ट्रेडर्स, नई मण्डी रोड, दौसा।
4. श्री शिव दन्त पाण्डे पुत्र श्री लोकमणी निवासी 31, फेण्डस कॉलोनी, वार्ड नं0 31 तह0 जिला अलवर, मैनेजर, मैसर्स:- 1136 वरुण बैवरेज लिमि0 खसरा नं0 528 एसबीबीजे बैंक के सामने सिकन्दरा, जिला दौसा नोमिनी फर्म।
5. श्री मनीष भटनागर पुत्र श्री संतोष कुमार मैसर्स वरुण बैवरेज लिमिटेड प्लॉट नं0 2, सूरजपुर बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश नोमिनी फर्म।
6. मैसर्स वरुण बैवरेज लिमिटेड प्लॉट नं0 2, सूरजपुर बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश नोमिनी फर्म।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक 7.3.2018

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा